

संख्या

कार्यालय जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी, श्रावस्ती।  
/जि0आ0अ0/आबकारी दुकान/व्यवस्थापन/ई-लाटरी/2020-21/श्रावस्ती दिनांक: मार्च ,2020

## आबकारी विज्ञापित

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु घोषित आबकारी नीति के अन्तर्गत ई-लाटरी के प्रथम चरण के उपरान्त अवशेष देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों व माडल शॉप का व्यवस्थापन ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर द्वितीय चरण में ई-लाटरी के माध्यम से किया जाना है, जिसके लिये ई-लाटरी पोर्टल [www.upexciseelottery.gov.in](http://www.upexciseelottery.gov.in) पर अपने आपको पंजीकृत करना होगा। नवीनीकृत दुकानों के अनुज्ञापियों को पूर्व में उपलब्ध यूजर आईडी0 एवं पासवर्ड मान्य होंगे। ई-लाटरी हेतु मदिरा दुकानों का विवरण निम्नवत् है :-

क0 सं0	दुकान का प्रकार	दुकान का नाम	शॉप आई0डी0	वर्ष- 2020-21 का एम0जी0क्यू0 ब0ली0 36 प्रति0 वी0/वी0	वर्ष-2020-21 का ब0ला0फी0/ला0फीस (रु0में)	वर्ष-2020-21 की प्रतिभूति धनराशि (रु0में)	धरोहर धनराशि (रु0में)	प्रोसेसिंग फीस (रु0में)	हैसियत प्रमाण पत्र (रु0में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	देशी शराब	बगुरैइया गॉव (क)	16199	12084	362340	273098	36234	20000	515554
2		बगुरैइया गॉव (ख)	31065	12084	362340	273098	36234	20000	515554
3		मछरिहवॉ (क)	17615	10164	132066	229706	13207	20000	404855
4		मछरिहवॉ (ख)	31067	10164	132066	229706	13207	20000	404855
5		कोट रियासत (लक्ष्मनपुर रोड मंगलभटटा के सामने)	16810	31704	950796	716510	95080	20000	1352650
6	विदेशी	गौसपुर (क)	18512	-	250000	25000	25000	20000	250000
7	मदिरा	गौसपुर (ख)	31068	-	250000	25000	25000	20000	250000

किसी भी आवेदक के पक्ष में सभी प्रकार की मदिरा की प्रदेश में दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेगी, जिसमें नवीनीकृत दुकानें भी सम्मिलित होंगी। आवेदन पत्र के साथ नियमानुसार प्रोसेसिंग शुल्क व सम्बन्धित दुकान की धरोहर धनराशि जो जिला आबकारी अधिकारी, श्रावस्ती के पदनाम से शेड्यूल बैंक का बना हो, की प्रति ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड की जायेगी एवं मूल प्रति कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी श्रावस्ती में प्रत्येक दशा में दिनांक 25.03.2020 को सायंकाल 6:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा। प्रोसेसिंग शुल्क को ऑनलाइन [upexciseelottery.gov.in](http://upexciseelottery.gov.in) पर भी जमा करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अन्य धनराशियाँ नियमानुसार समयान्तर्गत जमा करना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में अन्य विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट [www.oldupexcise.in](http://www.oldupexcise.in) व जनपद की वेबसाइट [www.shravasti.nic.in](http://www.shravasti.nic.in) पर उपलब्ध है तथा कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, श्रावस्ती एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकगण श्रावस्ती से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है। द्वितीय चरण हेतु ई-लाटरी की समय सारणी निम्नवत् है-

1	ई-लाटरी हेतु आवेदन करने की अवधि	दिनांक 23.03.2020 पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 25.03.2020 को सायं 5:00 बजे तक
2	ई-लाटरी की तिथि, समय व स्थल	दिनांक 26.03.2020 को अपराह्न 3:00 बजे से समाप्ति तक कलेक्ट्रेट सभागार, श्रावस्ती।
3	द्वितीय चरण के आवंटियों द्वारा देयताओं को जमा करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 31.03.2020 को सायं 5:00 बजे तक।

(पी0के0गिरि)

जिला आबकारी अधिकारी,  
श्रावस्ती।

1688-90

संख्या /जि0आ0अ0/आ0दु0/व्यवस्थापन/2020-21, तददिनांक:।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- स्थानीय सम्पादक, दैनिक जागरण व हिन्दूस्तान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि 7 फाण्ट में सरकारी दर पर कम से कम स्थान में स्थानीय पृष्ठ पर विज्ञापित प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, श्रावस्ती को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञापित जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ ई-लाटरी से सम्बन्धित समस्त तकनीकी व्यवस्था पूर्ण कराने का कष्ट करें।

(यशु रूस्वगी)

जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी,  
श्रावस्ती।

(पी0के0गिरि)

जिला आबकारी अधिकारी,  
श्रावस्ती।